UPFZ010066142024

न्यायालय अपर जिला जज चतुर्थ/विशेष न्यायाधीश ई०सी० एक्ट, अयोध्या।

उपस्थितः–मोहिन्दर कुमार (एच0जे0एस0) जे.ओ.कोड–यू.पी–6383

पुनरीक्षण संख्या–48/2024

उ०प्र० राज्य(प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी अयोध्या)

--------निगरानीकर्ता।

बनाम

1–श्री जगदीप हीरा–आकूपायर

2–श्री शंकर्षण शुक्ल–प्रबंधक

मेसर्स यश पैका लिमिटेड, दर्शननगर, जिला अयोध्या।

----------विपक्षीगण।

निर्णय

1– प्रस्तुत निगरानी उ०प्र० राज्य(प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी अयोध्या) की ओर से विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अयोध्या द्वारा परिवाद संख्या 13151ए/2023, राज्य सरकार उ०प्र० जरिए सहायक कारखाना अयोध्या बनाम जगदीश हीरा आदि, अंतर्गत कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 92 के अंतर्गत धारा 7ए, नियम 52बी, में पारित आदेश दिनांकित 06.11.2023 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

2– मामले के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 31–03–2023 को अपराह्न लगभग 12.00 बजे कार्य करते समय मृतक विकास पाल जो गले में गमछा पहना हुआ था, का गमछा डिपीथर नं0 2 के कनवेयर बेल्ट के टेल पुली में फंस गया, जिसके कारण कर्मकार विकास पाल का गर्दन गमछा से दब गया और उसका दाहिना हाथ पुली में फँस गया। इस दुर्घटना के बाद उसे जिला अस्पताल ले जाया गया जहाँ उसे मृत लाया घोषित किया गया। कार्य के दौरान कारखाना आकूपायर द्वारा दक्ष सुपर विजन कराया जाना नही पाया गया, जिससे कर्मकार विकास पाल द्वारा कारखाने में लूज कपड़े पहनकर कार्य करने से रोका जा सके और न ही कनवेयर बेल्ट का टेलपुली जो कि जमीन से 2 फीट की उँचाई पर है की इस प्रकार गार्डिंग की जाती पायी गयी जिससे कोई खतरे की सम्भावना न हो, उक्त असावधानी के कारण दुर्घटना घटित हुई ।

3– विचारण न्यायालय द्वारा प्रस्तुत प्रकरण को प्रसंज्ञान के बिंदु पर दिनांक 06.11.2023 को निरस्त कर दिया गया।

Digitally signed by MOHINDER KUMAR
Date: 2026.03.09 16:15:23 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

4– निगरानीकर्ता उ०प्र० राज्य(प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी अयोध्या) की ओर से द्वारा उक्त आदेश से क्षुब्द होकर प्रस्तुत निगरानी योजित की गयी है। निगरानीकर्ता द्वारा यह कथन किया गया है कि उपरोक्त वाद में विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वारा पारित आदेश दिनांक 06–11–2023 न्यायोचित नहीं है। विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अयोध्या के न्यायालय में अनन्त कुमार सहायक निदेशक कारखाना अधिनियम की धारा 8 (1) के अन्तर्गत घोषित निरीक्षक द्वारा दिनांक 27–06–2023 को उक्त परिवाद प्रस्तुत किया गया है तथा श्री शिशिर कुमार श्रीवास्तव श्रम प्रवर्तन अधिकारी द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण दिनांक 01–04–2023 को किया गया है। विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा विधिक मस्तिष्क प्रयोग न कर विधि की महान भूल की गयी है क्योकि घटना की जानकारी की तिथि दिनांक 01–04–2023 से परिवाद प्रस्तुत करने की तिथि 27–06–2023 है, जो तीन महीने के समय सीमा के भीतर परिवाद प्रस्तुत किया गया है। इस तथ्य पर ध्यान न देकर लिपिक की भ्रामक रिपोर्ट परिवाद दाखिल करने की तिथि 27–09–2023 को मानते हुए परिवाद मियाद बाहर मानते हुए आदेश पारित किया गया है, जो त्रुटिपूर्ण एवं अवैध है, जो कत्तई पोषणीय नहीं है और निरस्त होने योग्य है। उक्त विन्दुओं पर विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अयोध्या ने विचार न कर महान विधिक भूल की है जो विधि विरूद्ध है और पोषणीय नहीं है और सर्वथा निरस्त/अपास्त होने योग्य है। आदेश दिनांक 06–11–2023 को निरस्त कर परिवाद अन्दर मियाद मानते हुए अग्रिम कार्यवाही किये जाने का आदेश पारित करने की प्रार्थना की गयी है।

5– सुना तथा संबंधित पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया गया।

6– प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु मुख्य अवधार्य प्रश्न यह है कि–**क्या अवर न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांकित 06.11.2023 के निष्कर्ष में शुद्धता, वैधता या औचित्य अथवा कार्यवाही की नियमित्ता के सम्बंध में किसी त्रुटि के आधार पर हस्तक्षेप किये जाने योग्य है?**

7– निगरानी के साथ अवर न्यायालय की पत्रावली संलग्न है, जिसमें पारित आलोच्य आदेश दिनांकित 06–11–2023 के परिशीलन से विदित होता है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने यह आदेश पारित किया गया है कि–

> **"प्रस्तुत प्रस्तावित परिवाद में परिवादी द्वारा घटना की जानकारी की तिथि दिनांक 01.04.2023 अंकित की गयी है तथा कार्यालय लिपिक की आख्या के अनुसार परिवाद इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 25.09.2023 को प्रस्तुत किया गया है, अर्थात् घटना की जानकारी की तिथि से करीब 5 माह 24 दिन बाद प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार प्रस्तावित परिवाद अधिनियम की धारा 106 के अन्तर्गत निर्धारित समय सीमा के अन्दर नहीं प्रस्तुत किया गया है। अतएव उपरोक्त उपरोक्त व्यवस्थाओं के अनुसार प्रस्तुत प्रस्तावित परिवाद विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के कारण प्रसंज्ञान लिये जाने योग्य नहीं है और ग्राहयता के स्तर पर ही निरस्त किये जाने योग्य है। परिवादी राज्य सरकार जरिये सहायक निदेशक, कारखाना अयोध्या क्षेत्र ओर से प्रस्तुत परिवाद ग्राह्यता के स्तर पर निरस्त किया जाता है। परिवाद अनुसार दाखिल दफ्तर हो।"**

8– निगरानीकर्ता की ओर से मुख्य रुप से यह बहस की गयी है कि। विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अयोध्या के न्यायालय में अनन्त कुमार सहायक निदेशक कारखाना अधिनियम की धारा 8 (1) के अन्तर्गत घोषित निरीक्षक द्वारा दिनांक 27–06–2023 को उक्त परिवाद प्रस्तुत किया गया है तथा श्री शिशिर कुमार श्रीवास्तव श्रम प्रवर्तन अधिकारी द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण दिनांक 01–04–2023 को किया गया है। क्योकि घटना की जानकारी की तिथि दिनांक 01–04–2023 से परिवाद प्रस्तुत करने की तिथि 27–06–2023 है, जो तीन महीने के समय सीमा के भीतर परिवाद प्रस्तुत किया गया है। इस तथ्य पर ध्यान न देकर लिपिक की भ्रामक रिपोर्ट परिवाद दाखिल करने की तिथि 27–09–2023 को मानते हुए परिवाद मियाद बाहर मानते हुए आदेश पारित किया गया है, जो त्रुटिपूर्ण एवं अवैध है, जो कत्तई पोषणीय नहीं है।

9– विपक्षीगण की ओर से उपस्थित अधिवक्ता द्वारा यह बहस की गई कि विद्वान विचारण मजिस्ट्रेट का आदेश वैध है। परिवाद को काराखाना अधिनियम 1948 की धारा 92 के अंतर्गत घटना की जानकारी के तीन माह के भीतर दाखिल करना था, जोकि नहीं किया गया है। अतः विद्वान विचारण न्यायालय ने विधि द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के अलोक में निरस्त कर दिया, जो कि विधिसम्मत आदेश है।

<u>निस्तारण प्रार्थना पत्र 23 ब</u>

10– विपक्षीगण की ओर से उपस्थित अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र 23 ब पर बल देने हेतु विपक्षी अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि अवर न्यायालय के संबंधित लिपिक द्वारा किस प्रावधान के अंतर्गत परिवाद की नकल परिवादी को मुहर लगाकर दी गई, के संबंध में अवर न्यायालय से आख्या आहूत किये जाने की प्रार्थना की गयी। उक्त प्रार्थना पत्र 23 ब आज निर्णय के साथ निरस्तारित होने हेतु पूर्व से नियत है।

11– उक्त प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष को सुना जा चुका है। पत्रावली के परिशीलन से विदित होता है कि न्यायालय द्वारा इस आशय की स्पष्ट आख्या आदेश दिनांकित 21.08.2025 के माध्यम से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अयोध्या से आहूत की गयी थी कि निगरानीकर्ता की ओर से दाखिल अभिलेख मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अयोध्या के न्यायालय में वास्तव में दिनांक 27.06.2023 को प्राप्त कराया गया था अथवा नहीं। उल्लेखनीय होगा कि निगरानीकर्ता की ओर से न्यायालय के समक्ष सी०जे०एम० महोदय द्वारा यह स्पष्ट रुप से आख्या दी गयी कि परिवाद राज्य सरकार बनाम जगदीप हीरा अंतर्गत धारा 92 कारखाना अधिनियम इस कार्यालय में दिनांक 27.06.2023 को प्राप्त हुआ है, जिस पर कार्य अधिकता के कारण दिनांक 25.09.2023 को संज्ञान के बिंदु पर सुनवाई हेतु तत्कालीन पीठासीन अधिकारी के समक्ष पेश किया गया।

12– मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अयोध्या की आख्या से स्पष्ट हो गया है कि जो परिवाद कारखाना अधिनियम 1948, की धारा 92 के अंतर्गत संस्थित किया गया था, वह दिनांक

27.06.2023 को प्राप्त हो चुका था। अतः विपक्षीगण की यह आशंका की निगरानीकर्ता ने कूटरचित अभिलेख प्रस्तुत किये गये हैं, गलत है। न्यायालय को किसी भी स्तर पर सही जानकारी व साक्ष्य संबंधी आख्या आहूत किये जाने की शक्ति प्राप्त है, जिसे विपक्षी द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती। अतः विपक्षीगण की ओर से दिया गया प्रार्थना पत्र 23 ब बलहीन होने के कारण निरस्त होने योग्य है। तदानुसार प्रार्थना पत्र 23 ब निरस्त किया जाता है।

13– अब प्रस्तुत प्रकरण में यह देखा जाना है कि परिवादी के द्वारा परिवाद पत्र समय से दाखिल कर दिये जाने पर, किंतु न्यायालय द्वारा संज्ञान विलंब से लिये जाने का क्या प्रभाव होगा। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **Japani Sahoo vs Chandra Sekhar Mohanty Decided on 27 July, 2007 में प्रतिपादित सिद्धांत का उल्लेख करना समीचीन होगा–**

There could be several such situations. The complaint although filed within limitation but the Magistrate due to some or other reasons beyond his control could not apply his mind and take cognizance of the complaint and/or could not issue the process within the prescribed period of limitation as provided under Section 468 of the Code, then the complaint will have to be dismissed in limine. So also if the Magistrate takes cognizance after the period prescribed under Section 468 of the Code the said order of taking cognizance would render illegal and without jurisdiction. In such contingencies can the complainant be blamed who has approached the Court quite within limitation prescribed under the Act but no cognizance could be taken for the valid and good reasons on the part of the Magistrate and should the complainant suffer for no fault on his part. This could not be the object of the framers of the provisions of Section 468, Cr. P.C.

51. We are in agreement with the law laid down in Bharat Damodar. In our judgment, the High Court of Bombay was also right in taking into account certain circumstances, such as, filing of complaint by the complainant on the last date of limitation, non availability of Magistrate, or he being busy with other work, paucity of time on the part of the Magistrate/Court in applying mind to the allegations levelled in the complaint, postponement of issuance of process by ordering investigation under sub-section (3) of Section 156 or Section 202 of the Code, no control of complainant or prosecuting agency on taking cognizance or issuing process, etc. To us, two things, namely; (1) filing of complaint or initiation of criminal proceedings; and (2) taking cognizance or issuing process are totally different, distinct and independent. So far as complainant is concerned, as soon as he files a complaint in a competent court of law, he has done everything which is required to be done by him at that stage. Thereafter, it is for the Magistrate to consider the matter, to apply his mind and to take an appropriate decision of taking cognizance, issuing process or any other action which the law contemplates. The complainant has no control over those proceedings. Because of several reasons (some of them have been referred to in the aforesaid decisions, which are merely illustrative cases and not exhaustive

in nature), it may not be possible for the Court or the Magistrate to issue process or take cognizance. But a complainant cannot be penalized for such delay on the part of the Court nor he can be non suited because of failure or omission by the Magistrate in taking appropriate action under the Code. No criminal proceeding can be abruptly terminated when a complainant approaches the Court well within the time prescribed by law. In such cases, the doctrine "actus curiae neminem gravabit" (an act of Court shall prejudice none) would indeed apply. [Vide Alexander Rodger v. Comptoir D'Escompte, (1871) 3 LR PC 465]. One of the first and highest duties of all Courts is to take care that an act of Court does no harm to suitors. The Code imposes an obligation on the aggrieved party to take recourse to appropriate forum within the period provided by law and once he takes such action, it would be wholly unreasonable and inequitable if he is told that his grievance would not be ventilated as the Court had not taken an action within the period of limitation. Such interpretation of law, instead of promoting justice would lead to perpetuate injustice and defeat the primary object of procedural law.

53. In view of the above, we hold that for the purpose of computing the period of limitation, the relevant date must be considered as the date of filing of complaint or initiating criminal proceedings and not the date of taking cognizance by a Magistrate or issuance of process by a Court. We, therefore, overrule all decisions in which it has been held that the crucial date for computing the period of limitation is taking of cognizance by the Magistrate/Court and not of filing of complaint or initiation of criminal proceedings.

14– उपरोक्त निर्णय में प्रतिपादित सिंद्धात से स्पष्ट है कि यदि परिवादी की ओर से विहित प्रावधानों के मियाद के भीतर परिवाद दाखिल कर दिया जाता है, किंतु न्यायालय द्वारा सुभिन्न कारणों से उस पर संज्ञान नहीं लिया जा सका है तो इसके लिये परिवादी को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। माननीय न्यायालय ने स्पष्टतया यह अभिमत प्रकट किया है कि परिवादी अपनी सीमा में जो कुछ कर सकता था, यदि वह कर दिया गया है तो उसके मामले को सुना जाना चाहिए, भले ही न्यायालय द्वारा संज्ञान लेने में विलंब किया गया हो। प्रस्तुत मामले में सी०जे०एम० महोदय की आख्या के अनुसार परिवाद दिनांक 27.06.2023 को प्रस्तुत कर दिया गया था, जो कि घटना की जानकारी तिथि दिनांकित 01.04.2023 के तीन माह के भीतर की समयसीमा के अंतर्गत आता है। अतः स्पष्ट है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने उपरोक्त तथ्यों को तथा सुस्थापित विधिक सिद्धांतों को अनदेखा कर आलोच्य आदेश दिनांकित 06.11.2023 पारित किया गया है।

15– उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांकित 06.11.2023 त्रुटिपूर्ण होने का कारण हस्तक्षेप योग्य है। तदनुसार दाण्डिक पुनरीक्षण स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

16– प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी संख्या–48/2024, सरकार बनाम जगदीप हीरा स्वीकार की जाती है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांकित 06.11.2023 को अपास्त किया जाता है। विद्वान अवर न्यायालय/ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को निर्देशित किया जाता है कि वह आदेश में दिये गये संप्रेषण के आधार पर उभयपक्षों को सुनकर पुनः गुण–दोष के आधार पर आदेश पारित करे।

17– आदेश की प्रति मय मूल पत्रावली अवर न्यायालय को अविलम्ब नियमानुसार प्रेषित किया जाय। निगरानी पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसर दाखिल दफ्तर हो।

(मोहिन्दर कुमार)
दिनांक 09.03.2026 **अपर जिला जज चतुर्थ/**
विशेष न्यायाधीश ई.सी. एक्ट, अयोध्या
जे.ओ.कोड–यू.पी.6383

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर उद्घोषित किया गया।

(मोहिन्दर कुमार)
दिनांक 09.03.2026 **अपर जिला जज चतुर्थ/**
विशेष न्यायाधीश ई.सी. एक्ट, अयोध्या
जे.ओ.कोड–यू.पी.6383